विशेष विवरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.नं. 02/2021

उनवान

1. नारायण लाल पुत्र श्री रूघाराम, जाति माली, निवासी ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार महोदय तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 23/09/2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला हैं तथा गरीब काश्तकार पैशा व्यक्ति हैं, ग्राम हाडौता, पटवार हल्का हाडौता, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की पुश्तेनी कब्जे कात व खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 513/4, का रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, जिसके बने हाल खसरा नम्बरान् 1941/1, 1945, 1946/1, 1947, कुल किता 4 का कुल रकबा 1.46 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, स्थित हैं, जो कि प्रार्थी की एकमात्र कब्जे व खातेदारी भूमि हैं। खसरा नम्बर 1942/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर उक्त भूमि में से नेशनल हाईवे निकलने से कुछ भूमि सड़क में चली चली जाने के बाद उक्त भूमि के खसरा नम्बर 1942/1. रकबा 0.03 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि दर्ज रिकार्ड चली आ रही हैं जो भूमि वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं। प्रार्थना पत्रं में खसरा नम्बर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि ही विवादग्रस्त हैं, जिसके प्रार्थना पत्र की अग्रिम मदों में भूमि विवादग्रस्त कहां गया हैं।

उक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त गत खसरा नम्बर 513/4 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि बारानी–2 जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 में दर्ज रिकार्ड चली आ रही हैं। उक्त भूमि में से साबिक गत नक्शे व साबिक रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं था, लेकिन दौराने बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा हाल खसरा नम्बर 1942 रकबा 0.04 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता गलत रूप से बारानी भूमि में हाल खसरा नम्बर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया, खसरा नम्बर 1942/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर जो कि नेशनल हाईवे रोड में चला गया, जो बन्दोबस्त विभाग को किसी भी प्रकार से हाल नक्शे व हाल राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। मात्र पूर्ववर्ती रिकार्ड के अनुसार ही दर्ज किया जाना चाहिये था, किन्तु बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हाल नक्शे व हाल राजस्व रिकार्ड बनाया गया हैं जो त्रुटि पूर्ण बनाया गया हैं।

उक्त वर्णित भूमि में मौके पर रास्ता ना तो कभी पूर्व में रास्ता था, ना ही वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता हैं। विवादित भूमि पर प्रार्थी पुश्तेनी रूप से काबिज चला आ रहा हैं, मौके पर भूमि बारानी भूमि हैं जो पड़त पडी हैं। उक्त भूमि का कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग नहीं किया गया हैं।

प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार चौमूं को भी प्रार्थना पत्र पेश कर हाल जमाबन्दी व हाल नक्शे में साबिक रिकार्ड व साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त करने हेतु ... कर दिया तथा कहा कि सक्षम न्यायालय में धारा 136 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही करें। जिस पर प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:47:50 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित विवादग्रस्त साबिक खसरा नम्बर 513/4 से बने हाल खसरा नम्बर 1941/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि की किस्म राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

...र्ड व नक्शे में पूर्ववत राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा या करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार तहसील चौमू से रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम ... के खसरा नम्बर 1942/1 रकबा 0.03 है० किस्म गै०मु० रास्ता खातेदार नारायण पुत्र ... जाति माली के नाम दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल ख०न० 1942 रकबा 0.04 है० गत खसरा नम्बर 513/4 मि. से बना है। उक्त ख.न. 1942 में से 0.01 है० भूमि सडक में अवाप्त होने पर ख०न० 1942/2 रकबा 0.01 है० हिस्सा भूतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार के नाम है। गत जमाबन्दी सम्वत 2037-2040 के अनुसार ख०न० 513/4 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी-2 दर्ज है जिससे अन्य नम्बरान के साथ हाल ख०न० 1942/1 रकबा 0.03 है० बना है। मौके पर वर्तमान में रास्ता नही है। खातेदार द्वारा अपने आवास तक आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है जो चालू है। बना रखा है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज नकल मिसल बंदोबस्त संवत 2010-2023 व गत जमाबन्दी संवत 2037-2040 व खसरा गिरदावरी व पर्चा लगान भू-प्रबन्धक विभाग मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण की नकल, गत नक्शा ट्रेस, नकल लट्ठा ट्रेस, हाल जमाबन्दी पेश की जो साबिक खसरा नम्बर 513/4 से बने हाल खसरा नम्बर 1942 रकबा 0.04 है० गै०मु० रास्ता दर्ज है। जिसमें से खसरा नम्बर 1942/2 रकबा 0.01 है० गै०मु० सडक जिसकी खातेदारी भुतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार के नाम दर्ज हो चुकी है जो जमाबन्दी संवत 2072-2075 है० एवं हाल जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1942/1 में रकबा 0.03 है० प्रार्थी के नाम से वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही है। मौके पर प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में पूर्व एवं वर्तमान में कोई रास्ता विद्यमान नही है। साबिक नक्शे में भी किसी प्रकार का कोई रास्ता अंकित नही है। दौराने बंदोवस्त कर्मचारियों द्वारा रास्ता दर्ज किया गया है। जिस रास्ते की खातेदारी पूर्ववृत राजस्व रिकार्ड व नक्शे के अनुसार हाल रिकार्ड व हाल नक्शे में किस्म गै० मु० रास्ता दुरस्त किया जाने हेतु प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है।

प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र कें तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र को दौराने बंदोबस्त हुई गलती को साबिक रिकार्ड व साबिक नक्शे अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरस्त करने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में नजीरे पेश की गईः-

1. RRT 2002(2) Page no 783-784, Bogad Singh vs State of Raj. मे Board of Revenue for Rajasthan Ajmer में अभिनिर्धारित किया है कि:- **राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत भू अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रदत किये गये है- भू अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नही बदल सकता है लेकिन अगर भू प्रबन्ध के दौरान अगर कोई गलत इन्द्राज कर दिया गया है तो उसको दुरस्त किया जा सकता है- यह कार्य भू-प्रबन्ध का कार्य बन्द हो जाने के बाद भी किया जा सकता है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:47:50 IST
Reason: SelfAttested

बहस प्रार्थी के अधिवक्ता की सुनी गई। प्रा० ... *रिपोर्ट तहसीलदार चौमू* व बहस का बगोर अवलोकन किया गया। नजीरो का अवलोकन किया ... यह स्पष्ट होता है कि साबिक राजस्व रिकार्ड व साबिक नक्शे में किसी प्रकार का कोई रास्ता नही था। बल्की दौराने बंदोवस्त की कर्मचारियों की गलती से हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे ... गलत रूप से दर्ज किया गया है। मौके पर भी किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का कानूनन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम हाडौता, पटवार हल्का हाडौता के साबिक खसरा नम्बर 513/4 से बने हाल खसरा नम्बर 1941/1 रकबा 0.03 है0 भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड व नक्शे में पूर्ववत राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 23/09/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राहुल जैन
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
चौमू ,जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
चौमू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:47:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner